Email
380
16-01-13

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 20– 1/2013/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 16.01.2013

प्रति,

1– उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश शासन,

2– संयुक्त संचालक,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय (समस्त)

3– समस्त महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
मध्यप्रदेश

कार्यालय कले. अशोकनगर
शाखा महाप्रबंधक उद्योग
16 JAN 2013
अधीक्षक

विषय – **वेअरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति 2012** ।

विषयांतर्गत वेअरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति 2012 का अनुमोदन मंत्रीपरिषद द्वारा दि. 04.9.2012 को किया गया। इस संबंध में शासन आदेश क्रमांक एफ– 3–30/ 2012/29–2 दिनांक 24.9.12 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है ।

1– वेअरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत नियम मध्यप्रदेश भण्डारण एवं लाजिस्टिक निवेश संर्वधन नियम 2012, जारी किये जा चुके है, जो www.mpwarehousing.com पर उपलब्ध है।

2– अनुमोदित नीति के तहत दिनांक 10 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2013 तक ऑनलाईन आवेदन निवेशको द्वारा प्रस्तुत किये जावेगें।

3– निवेशकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति हस्ताक्षर कर जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने से 120 दिवस में प्रस्तुत किया जाना है :–

(1) जमा किये गये आवेदन शुल्क रू. 10/– प्रति मी.टन की छायाप्रति ।
(2) भूमि के स्वामित्व से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज।
(3) भूमि की ऋण पुस्तिका/खसरा/भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका फार्म पी–1 एवं पी–2 इत्यादि की प्रमाणित प्रति जो तहसीलदार द्वारा जारी की गयी हो।
(4) गोदाम निर्माण हेतु संबंधित विभागों से प्राप्त अनुमतियां/अनापत्तियॉ/सहमतियां।
(5) गोदाम निर्माण हेतु परियोजना रिपोर्ट एवं दर्शायी गई वित्तीय व्यवस्था के प्रमाण पत्र तथा नेटवर्थ हेतु सनधि लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(6) बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति का पत्र।

4– प्राप्त होने वाले समस्त दस्तावेजों की छानबीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दस्तावेज प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस में किया जाना है ।

73
17/01/13

5— आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जानकारी आवेदक द्वारा स्वयं Website पर Upload की जावेगी । जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेजों में कमी होने पर निवेशकों को महाप्रबंधक, जिला व्यपार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा Online अवगत कराया जावेगा ।

6— पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत निम्न समिति द्वारा सात दिवस में स्थल निरीक्षण किया जाएगा— (1) महाप्रबंधक या उनके द्वारा अधिकृत प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र एवं (2) क्षेत्रीय प्रबंधक, म. प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन) स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—"अ") में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, को प्रस्तुत किया जावेगा। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक आहुत करने हेतु 7 दिवस में एजेन्डा जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।

7— प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति" में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
(1) क्षेत्रीय प्रबधंक, म.प्र.वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो.—सदस्य
(2) आंचलिक अभियंता, म.प्र.वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो.—सदस्य

8— जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति रू. 10 करोड़ तक के प्रस्ताव जिला स्तर पर निराकृत किये जावेगें तथा रू. 10 करोड़ से उपर एवं रू. 25 करोड़ तक के प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं रू. 25 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव निवेश संवर्धन पर मंत्रिमंडलीय समिति को स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्तुत किये जावेंगे।.

9— सक्षम स्तर से प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 3 दिवस के भीतर निवेशकों को पत्र तथा ईमेल द्वारा अनुबंध निष्पादित करने की सूचना प्रेषित की जावेगी ।

10— सूचना जारी होने के 30 दिवस के भीतर निवेशक द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

11— अनुबंध निष्पादन के उपरांत अनुबंधकर्ता द्वारा 25000 मे.टन क्षमता तक का गोदाम निर्माण 1 वर्ष में पूर्ण किया जाना है तथा 25000 मी.टन क्षमता से अधिक होने पर गोदाम निर्माण 18 माह में पूर्ण किया जाना है।

गोदाम निर्माण के उपरांत अनुदान विमुक्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाकर पृथक से सूचित किया जावेगा।

(विशेष गढ़पाले)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20—1/2013 /बी—ग्यारह भोपाल, दिनांक 16.01.2013

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2012
स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थान.....तहसील.....जिला.....क्षमता.....

क्र.	निवेशक का नाम	स्थान	क्षमता मी.टन में	भूमि की आवश्यकता एकड़ में	हाइटेंशन लाईन की स्थिति	निचले स्तर में तो भूमि नहीं है	नेशनल हाइवे/स्टेट हाइवे से भूमि की दूरी	भूमि से आवागमन हेतु टार रोड है अथवा नहीं	अनुंशसा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10